—राज्य सरकारों के ग्रामीण जल सप्लाई सचिवों तथा मुख्य अभियंताओं के साथ 2-8-94 को हुई समीक्षा बैठक के दौरान राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे पेयजल सप्लाई के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए भूजल की अत्यधिक निकासी रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठायें ।

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सड़कों का निर्माण

2427. **जौधरी हरमोहन सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कुल कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है ;

(ख) इस कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ग) इस संबंध में जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है । उसके अनुसार जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य में वर्ष 1993-94 तक 1,30,310.32 किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया जिन पर 76467.58 लाख रुपये खर्च हुए ।

(ग) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण के जिलेवार ब्यौरे केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं ।

Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission

2428. *SHRI GOVINDRAO ADIK:* Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the outlay for the year 1993-94 under Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission and the amount that has been released upto December, 1993;

(b) the total number of problem villages which were to be covered under this programme and how many out of these have actually been covered in the year 1993-94;

(c) the action plan for the year 1994-95 and how much amount has been set apart for completion of this work in the current financial year;

(d) whether Government is satisfied with the progress made in this direction in the year 1993-94; if not, the reasons therefor; and

(e) the remedial measures Government propose to take to cover the maximum number of beneficiaries during 1994-95?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) The outlay for the year 1993-94 under Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission was Rs. 740.00 crore and an amount of Rs. 447.63 crore was released upto December, 1993.

(b) Against a target of 750 problem villages (including 25 Uninhabited villages), 447 problem villages were covered during 1993-94.

(c) A target of coverage of 77770 habitations has been set for the year 1994-95 for which an outlay of Rs. 800 crore has been provided.

(d) Due to non-utilisation of funds in J and K, inaccessibility of hard

crore villages etc. the progress of coverage in 1993-94 could not be satisfactory.

(e) The following remedial measures have been taken;

(i) The progress monitoring system has been revised to know the details upto habitation level.

(ii) Progress review meeting with Rural Water Supply Secretaries of States and Chief Engineers, PHED was held on 2-8-94 wherein the States have been asked to draw up detailed action plan for the remaining two years of VIII Five Year Plan immediately for fulfilment of the objectives of RGNDAM

(iii) Research and Development relevant to the sector needs have been given adequate emphisis.

"कापार्ट" द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

2429. श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :
श्री आस मोहम्मद :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "कापार्ट" द्वारा कल्याणकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने हेतु जिन स्वयंसेवी संगठनों को आज की तिथि में अनुदान और वित्तीय सहायता दी जा रही है, उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे प्रत्येक संगठन को कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) उन संगठनों के नाम क्या हैं, जो अपने लेखे और रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करते हैं; और

(घ) इन संगठनों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहां तक सफलता मिली है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) और (ख) कापार्ट द्वारा स्वयंसेवी एजेंसियों को परियोजनायें चलाने के लिये वित्तपोषित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला व बाल विकास कार्यक्रम लोक सहयोग, लाभार्थियों का संगठन, ग्रामीण प्रौद्योगिक विकास योजना, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम और त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के क्षेत्र शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कापार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं, सहायता दी गई स्वयंसेवी एजेंसियों की संख्या, स्वीकृत और रिलीज की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (नीचे देखिए)।

(ग) और (घ) परियोजनाओं को स्वीकृत कर दिये जाने के बाद उपर्युक्त किस्तों में कापार्ट द्वारा निधियां रिलीज की जाती हैं। पहली किस्त रिलीज कर दिए जाने के बाद, स्वयंसेवी एजेंसी को एक उचित समय के भीतर निर्धारित प्रोफोर्मा में एक प्रगति रिपोर्ट देनी होती है। आमतौर पर इस अवस्था में भी परियोजनाओं की निगरानी की जाती है। मानिटर की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा स्वयंसेवी एजेंसी से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निधियों की अगली किस्त रिलीज की जाती है। परियोजना के पूरा होने पर एजेंसी अन्तिम प्रगति रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखा और उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करती है। लगभग सभी स्वयंसेवी एजेंसियों को इस प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। कुल मिलाकर स्वयंसेवी एजेंसियां जिनको कापार्ट द्वारा सहायता दी गई, वे लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हुई हैं।